वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय,पाथाखेड़ा क्षेत्र,
तह-घोडाडोंगरी, जि. बैतूल- ४६०४४९
email:cgmpkda@rediffmail.com
Website : http://westerncoal.nic.in

Western Coalfields Limited,
Office of the Area General Manager,
Pathakhera Area – Th:Ghoradongri
Dist: Betul – 460 449
Ph. No: 07146 – 271363 [Fax:07146-270566]

Ref. No. WCL/PKD/ AGM/ SO (P&P) /2016/ 469 Date: 21/09/2016

प्रति

जिला अधिकारी,
जिलाधिकारी कार्यालय, जिला–बैतूल,
बैतूल (म.प्र.)

विषयः– वे.को.लि. पाथाखेडा क्षेत्र की संचालित तवा खदान के लिए 107.816 हे. वन भुमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ती प्रमाणपत्र देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पाथाखेडा क्षेत्र की संचालित तवा खदान वर्ष 1992 से प्रारंभ की गई, जो नगरपालिका क्षेत्र सारनी के अन्तर्गत आता है, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग–2 स्थानीय निकाय की अधिसूचना दि. 06 जून ज्येष्ठ 16 शक 1925 में प्रकाशित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतू 107.816 हे. वनभुमि का प्रस्ताव वनविभाग में लम्बित है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा शासन निर्देशों के परिपेक्ष्य में मोहल्ला समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्कता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोहल्ला समिती की बैठक आयोजित करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारनी को निर्देश देने का कष्ट करें, जिससे वन अधिकार अधिनियम–2006 के तहत अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो सकें, तत्पश्चात प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतू प्रस्तुत किया जा सके। इससे कामगरों का रोजगार बरकरार रहेगा तथा क्षेत्र का सामाजिक विकास होगा। यह परियोजना शासन एवं नगर विकास हित में है। इस वन भुमि पर किसी भी व्यक्ति का दावा (Right) लंम्बित नही है।

भवदीय,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
पाथाखेड़ा क्षेत्र

प्रतिलिपी –1 महाप्रबंधक (भु/राजस्व), वेकोलि, मुख्यालय नागपूर
2 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सारनी, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश)

कार्यालय-महाप्रबंधक पाथाखेड़ा क्षेत्र जिला-बैतूल (म0प्र0)

पत्र क्र0 वेकोलि/मप्र/पाता0/यो0परि0/2016/ 392 दिनांक-18/04/2016

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
सारनी जिला बैतूल (म0प्र0)

विषयः- वे0को0लि0 पाथाखेड़ा क्षेत्र की संचालित तवा खदान के लिए 107.816 हे0 वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980के तहत स्वीकृति हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाणपत्र देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयार्तगत लेख है कि पाथाखेड़ा क्षेत्र की संचालित तवा खदान वर्ष 1992 से प्रारम्भ की गई, जो नगरपालिका क्षेत्र सारनी के अंर्तगत आता है, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग -2 स्थानीय निकाय की अधिसूचना दि0 06 जून ज्येष्ठ 16 शक 1925 मे प्रकाशित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतू 107.816 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव वनविभाग में लम्बित है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा शासन निर्देशो के परिपेक्ष्य में मोहल्ला समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम - 2006 के अंर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्कता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि **मोहल्ला समिती** की बैठक शीघ्र आयोजित कर उपरोक्त प्रस्ताव हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का कष्ट करे, ताकि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतू प्रस्तुत किया जा सके। इससे कामगारो का रोजगार बरकरार रहेगा तथा क्षेत्र का सामाजिक विकास होगा। यह परियोजना शासन एवं नगर विकास हित में है। इस वन भूमी पर किसी भी व्यक्ति का दावा (Right) लंबित नही है।

भवदीय

क्षेत्रीय योजना अधिकारी
पाथाखेड़ा क्षेत्र

प्रति: जिला अधिकारी बैतूल

O/C

107 हे. Proposal

2016

कार्यालय नगर पालिका परिषद सारनी जिला–बैतूल (म.प्र.)

क्र./न.पा.मोहल्ला समिति/2016 /1741 सारनी,दिनांक 11/11/2016
/2016

महाप्रबन्धक सचिवालय
GM's Secretariat Pathakhera Area
प्राप्ति क्र. (Recd. No.)......
प्राप्ति तिथि (In Dated) 12/11/16
निर्गत तिथि (Out Dated)..........

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
वे.को.लि. पाथाखेड़ा

विषयः– वे.को.लि. पाथाखेड़ा क्षेत्र की संचालित तवा खदान के लिए 107.816 हे. वन भुमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र देने बाबत।

संदर्भ:– आपका पत्र क्र. **WCL/PKD/AGM/SO/P&P/2016/469** दिनांक 21/09/2016

विषयान्र्तगत लेख है कि उपरोक्त संर्दभीत पत्र के माध्यम से आपके द्वारा संचालित तवा खदान के 107–816 हे. वन भुमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु मोहल्ला समिति की बैठक आयोजित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया हैं। परन्तु आपके द्वारा दो खदाने तवा वन अथवा तवा टू के नाम से संचालित है यह स्पष्ट नही है ।

अतः अनुरोध है कि नजरी नक्शा / मेप सहित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मोहल्ला समिति की मीटिंग बुलाकर प्रकरण का निराकरन कराया जा सके।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सारनी

पृ.क्र./ न.पा.मोहल्ला समिति /2016 सारनी,दिनांक 11/11/2016

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (भु/राजस्व) वे.को.लि. मुख्यालय नागपुर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सारनी

Adv. Copy Sent
SO(P&P)

–GM PKP